भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 470

उत्तर देने की तारीखः 16.09.2020

बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिक

470. श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और वय संबंधी निशक्तताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या के आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य-वार क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय का ध्यान राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के किसी विशिष्ट क्षेत्र पर केन्द्रित है; और

(ग) वर्ष 2018 से बिहार में कितने शिविर आयोजित किए गए हैं, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे का जीवन-यापन कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक रूप से सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपस्कर प्रदान करने के लिए एक स्कीम यथा "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" कार्यान्वित कर रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले और आयु संबंधी निर्योग्यता से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या संबंधी डाटा मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। जनगणना, 2011 के अनुसार, अपनी वृद्धावस्था में किसी निर्योग्यता से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 53,76,619 है, जो वरिष्ठ नागरिकों की कुल जनसंख्या (10.38 करोड़) का लगभग 5.18 प्रतिशत है। स्कीम का उद्देश्य बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली निर्योग्यताओं/कमजोरियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक रूप से सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण जैसे छड़ी, एल्बो क्रचिज, वॉकर्स/क्रचिज, ट्राइपॉड्स/क्वाडपॉड्स, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, नि:शुल्क उपलब्ध कराना है जिनसे उन्हें शारीरिक कार्य करने में यथा संभव आसानी हो सके। यह स्कीम "कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)" द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो राज्य सरकारों के सहयोग से आकलन शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करता है। वर्ष 2018 से बिहार में आयोजित शिविरों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.09.2020 को को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 470 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018 से आरवीवाई के अंतर्गत बिहार में आयोजित वितरण शिविरों का ब्यौरा

क्रम सं.	जिला	लाभार्थियों की संख्या	सहायक उपस्करों की संख्या	सहायक उपस्करों की लागत (लाख रुपए में)
1	भोजपुर आरा	1665	3842	71.35
2	बक्सर	261	590	8.62
3	गया	251	746	14.09
4	बेगुसराय	245	922	23.14
कुल		**2422**	**6100**	**117.2**

*****